<u>न्यायालयः- अपर सेशन जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-2, बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः- **गौरव शर्मा** (आर.जे.एस.)(डी.जे.केडर)

<u>विविध आपराधिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 170/2026</u>
<u>सी.आई.एस.नंबर 373/2026 सी.एन.आर.नंबर RJBR010008932026</u>

अभिषेक उर्फ बादशाह पुत्र रमेश कुमार उम्र 27 वर्ष निवासी शिवाजी नगर, मनोहर घाट के पास, बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां (राज.)

.....प्रार्थी/अभियुक्त

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य .....अप्रार्थी/विपक्षी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
एफ.आई.आर.नं. 59/2026 थाना कोतवाली बारां जिला बारां
<u>अन्तर्गत धारा 115(2),126(2),109(1),309(6),117(2),118(1),189(2) बी.एन.एस. 2023</u>

<u>उपस्थित</u>:-
श्री दुल्हे सिंह गौड़, योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
श्री मदनमोहन नागर, योग्य अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

:::आदेश::: **दिनांक 02.06.2026**

01. प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक उर्फ बादशाह की ओर से धारा 483 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना कोतवाली बारां की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59/2026 थाना कोतवाली बारां जिला बारां अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1), 309(6), 117(2), 118(1), 189(2) बी.एन.एस., 2023 के संदर्भ में उसका जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस.न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा दिनांक 27.05.2026 को खारिज करने के उपरान्त, न्यायालय माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां में प्रस्तुत किया गया, जहां से यह प्रकरण वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार बताये गए हैं कि दिनांक 24.01.2026 को फरियादी उमेश कुमार नागर के पर्चा बयान जोनल अस्पताल बारां से हरिओम हैड कानि० ने लाकर वापसी थाना पर इस आशय के पेश किए कि दिनांक 23.01.2026 को समय दिन के 12.00 बजे के लगभग की बात है, वह तलावड़ा रोड़ बारां पर उसकी आवासीय कॉलोनी महाराण प्रताप टाउनशिप कॉलोनी के मुख्य गेट के पास ही बैठा था और रवि ठेकेदार व रविन्द्र मुंशी को पैसे दे रहा था। उसके पास

45,000/- रूपये थे। रविन्द्र मुंशी को 34,000/-रूपये देने थे जो हाथ में पैसे लेकर उसको वह दे रहा था। उसी समय वहां पर दो मोटरसाईकिलों पर तीन-तीन व्यक्ति आये जिनको वह जानता नहीं है और आते ही उसके सिर पर धारदार धारिया व सरिया से वार किया, जिससे उसके सिर में पीछे चोट आई हैं। अज्ञात हमलावरों ने उसके सिर पर जान से मारने की नियत से वार किया था। उसी समय उसके हाथ में जो 45,000/- रूपये थे, उनको छीन लिया और उसके गले से दो तोले की सोने की चेन थी, वह भी तोड़ ली और अपने पास रख ली थी फिर से भागकर आने लगा तो उसे आड़े फिरकर रोक लिया और धारिया व सरिया से दोबारा वार किया, जिसको उसने हाथों से रोका तो उसके दोनों हाथों व कंधों पर चोटें आई हैं व दोनों घुटनों पर भी चोटें आई हैं। उसी समय रविन्द्र चिल्लाया तो प्रवीण और मुकेश भागकर उसे बचाने आये तो वह लोग वहां से भाग गये थे। उक्त हमलावरों को जानता नहीं है, लेकिन सामने आने पर पहचान सकता है तथा मोटरसाईकिलों के नंबर प्लेट भी नहीं थी। उसके ऊपर प्राणघातक हमला किस कारण किया गया, उसे इसकी जानकारी नहीं है। उसकी किसी से आपसी रंजिश नहीं है। मुकेश व प्रवीण दोनों उसे इलाज हेतु प्रिया अस्पताल उसकी कार से लेकर गये थे, जहां वह बेहोश हो गया था जहां इलाज करवाने के बाद उसे जोनल अस्पताल बारां में रेफर कर दिया था, वहां अभी उसका इलाज जारी है... इत्यादि।

03. उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां में एफ.आई.आर. संख्या 59/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1), 309(6), 189(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज कर प्रकरण में अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं अब तक के अनुसंधान से अभियुक्त अभिषेक उर्फ बादशाह व अन्य के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 109(1), 309(6), 117(2), 118(1), 189(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित माना गया है। प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी है।

04. मुताबिक केस डायरी प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक उर्फ बादशाह के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड इस प्रकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित होना पाया गया:-

क्र. सं.	मुकदमा नं.मय थाना	धारा	चार्जशीट नं.	वर्तमान स्टेज
1	210/21 थाना कोतवाली बारां	341,323,143,427 भा.दं.सं.	162/29.04.21	पैंडिंग कोर्ट
2	150/21 थाना सदर बारां	147,148,149,352,506 भा.दं.सं.	162/29.04.21	पैंडिंग कोर्ट
3	696/22 थाना कोतवाली बारां	341,323,324,325,427,34 भा.दं.सं.	435/15.10.22	पैंडिंग कोर्ट
4	59/23 थाना कोतवाली बारां	143,341,323,324,325,307,504 भा.दं.सं.	329/08.09.23	पैंडिंग कोर्ट
5	456/23 थाना कोतवाली बारां	143,341,323,504,506 भा.दं.सं.	15/25.01.24	पैंडिंग कोर्ट
6	339/25 थाना कोतवाली बारां	126(2),115(2),190(2),191(2), 333,324(4),352,351(2)BNS	243/30.07.25	पैंडिंग कोर्ट

05. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रार्थी का आरोपित अपराध से कोई संबंध नहीं है उसे उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। सहअभियुक्तगण की जमानत माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-2, बारां द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। पुलिस थाना कोतवाली बारां ने उक्त प्रकरण में तफ्तीश पूर्ण कर ली है। प्रकरण के विचारण एवं निस्तारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त बारां जिला बारां राजस्थान का स्थायी निवासी है जहां पर प्रार्थी की चल व अचल संपत्ति स्थित है जिसके कहीं भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

06. इसके विपरीत फरियादी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

07. बहस जमानत उभय पक्ष सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

08. केस डायरी के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक उर्फ बादशाह व अन्य के विरूद्ध प्रकरण में अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1), 309(6), 117(2), 118(1), 189(2) बी.एन.एस. का प्रथम दृष्ट्या आरोप माना गया है। केस डायरी में संलग्न फरियादी/मजरूब उमेश नागर के चोट प्रतिवेदन के अनुसार उसके शरीर पर कुल 08 चोटें कारित होना बताई गई हैं जिनमें चोट सं0 3, 5, 7 व 8 कुंद हथियार से साधारण प्रकृति की कारित होना व चोट सं0 1 सिर पर धारदार हथियार से साधारण प्रकृति की व चोट सं0 2 बांये कंधे, चोट सं0 4 दाहिनी कोहनी व चोट सं0 6 बांये घुटने व पैर पर कुंद हथियार से गंभीर प्रकृति की कारित होना दर्शित है। इस प्रकार मजरूब उमेश नागर के शरीर पर आयी चोटों के प्राणघातक होने के संबंध में कोई चिकित्सकीय राय मौजूद नहीं है। प्रकरण के सहअभियुक्तगण अजय व रोहित तथा नरेन्द्र उर्फ भोला का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां द्वारा क्रमशः दिनांक 25.02.2026 व 09.03.2026 व सहअभियुक्त रोहित उर्फ बाफला का जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक उर्फ बादशाह का मामला सहअभियुक्तगण अजय, रोहित, नरेन्द्र उर्फ भोला व रोहित उर्फ बाफला से भिन्न नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 18.05.2026 को गिरफ्तार किया गया था, तब से प्रार्थी/अभियुक्त अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण एवं निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

09. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक उर्फ बादशाह की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाकर

आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज०) की संतुष्टि अनुसार 50 हजार रूपये की एक मौतबीर जमानत एवं 50 हजार रूपये राशि का स्वयं का मुचलका अग्रलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो उसे नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया जावे:-

(i) वह न्यायालय में नियत प्रत्येक पेशियों पर हाजिर रहेगा।

(ii) ना तो स्वयं, ना ही किसी अन्य द्वारा गवाहान को धमकायेगा या बरगलायेगा नहीं।

(iii) आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

(iv) पुलिस को अनुसंधान हेतु आवश्यकता होने पर हाजिर होगा,

तो उसे नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम-2, बारां (राज०)

10. आदेश आज दिनांक **02.06.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम-2, बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.02 15:21:19 IST